



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 201 / 2042- 2072 / 17

दिनांक : 27/04/2017

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(झांसी क्षेत्र)
उ०प्र० जल निगम।
झांसी।

विषय :- वर्ष 2017-18 में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 एवं अनुदान सं.-13 की पी०एल०ए० में रखी गई धनराशि रू० 4053.47 लाख को ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग कार्य हेतु अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में भीषण पेयजल संकट को देखते हुए इसके त्वरित निदान हेतु शासनादेश सं.-325/38-5-17-5 बजट/2016(1)टी०सी० दिनांक 13.04.17 तथा शासनादेश सं.-326/38-5-17-5 बजट/2016(1) टी०सी० दिनांक 13.04.17 द्वारा उपरोक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।

उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 117/जि०ग्रा०वि०अ०/ पी०एल०ए०/0007/2017-18 दिनांक 19.04.17 तथा पत्रांक 115/जि०ग्रा०वि०अ०/ पी०एल०ए०/0007/2017-18 दिनांक 19.04.17 द्वारा बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु 07 जनपदों में इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग कार्य हेतु अनुदान सं.-83 एवं अनुदान सं.-13 के अन्तर्गत कुल रू० 4053.47 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें यू०पी०ए०ग्रा० की 10 प्रतिशत धनराशि रू० 405.35 लाख जल निगम की 90 प्रतिशत धनराशि रू० 3648.12 लाख हेतु निर्धारित की गई है। कार्यों की समयबद्धता एवं महत्ता को देखते हुए उक्त धनराशि तत्काल क्षेत्र को अवमुक्त किया जाना अपेक्षित है।

अतः बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु 07 जनपदों में इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग कार्य हेतु प्राप्त धनराशि रू० 3648.12 लाख प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-246/2313-0001/बजट/2017-18 दिनांक 24.04.17 द्वारा क्षेत्र को अवमुक्त कर दी गई है। कृपया संबंधित जनपदों को संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि तत्काल अवमुक्त करने का कष्ट करें।

क.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	झांसी	3648.12

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर० एम० त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-246/2313-0001/बजट/ 2017-18 दिनांक 24.04.17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियन्ता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

